कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 385 /XXV–12(1–5)/2008 देहरादूनः दिनांक 08 मार्च, 2018.

सेवा में,

श्री विष्णु प्रसाद रतूड़ी,
नियर ओ0बी0सी0 बैंक के पास,
रायपुर, देहरादून–148008

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी/प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–155/155–मु.स./सू.अ./2018 दिनांक 08 मार्च, 2018 जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

बिन्दु संख्या– 04 के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 विधायकों एवं सांसदों हेतु आवश्यक शर्ते संबधी विवरण के 02 पृष्ठ संलग्न प्रेषित है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B.S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 385 /XXV–12(1–5)/2008 , तद्दिनांक।

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी, सहायक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को आवेदन पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना बिन्दु सं0 01 से बिन्दु संख्या–04 तक की सूचना आपके कार्यालय के संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

B.S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2017

(ग) यथाशक्य निकटतम बारहवां भाग ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य. के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में, जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं, पढ़ाने के काम में कम से कम तीन वर्ष से लगे हुए हैं ;

(घ) यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई भाग राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं ;

(ङ) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड (5) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशित किए जाएंगे ।

(4) खंड (3) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने जाएंगे, जो संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किए जाएं तथा उक्त उपखंडों के और उक्त खंड के उपखंड (घ) के अधीन निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे ।

(5) राज्यपाल द्वारा खंड (3) के उपखंड (ङ) के अधीन नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात् :—

साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा ।

172. राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि---(1) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से [1][पांच वर्ष] तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और [1][पांच वर्ष] की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा :

परंतु उक्त अवधि को, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब संसद् विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ।

(2) राज्य की विधान परिषद् का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे ।

173. राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता---कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब—

[2][(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है ;]

(ख) वह विधान सभा के स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का और विधान परिषद् के स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का है ; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि[3] द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं ।

[4][**174. राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन**---(1) राज्यपाल, समय-समय पर, राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा ।

(2) राज्यपाल, समय-समय पर—

(क) सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा ;

(ख) विधान सभा का विघटन कर सकेगा ।]

---

[1] संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 द्वारा (6-9-1979 से) "छह वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 4 द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएं 5, 5क और 6 आगे भाग 2 में देखिए ।
[4] संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 8 द्वारा अनुच्छेद 174 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परंतु यह और भी कि जब तक सन् [1][2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक [2][इस अनुच्छेद के अधीन,–

(i) राज्यों को लोक सभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आबंटन का ; और

(ii) प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का, जो [3][2001] की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं, पुनःसमायोजन आवश्यक नहीं होगा ।]]

83. संसद् के सदनों की अवधि---(1) राज्य सभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथा संभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य, संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए, उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे ।

(2) लोक सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से [4][पांच वर्ष] तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और [4][पांच वर्ष] की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोक सभा का विघटन होगा :

परंतु उक्त अवधि को, जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है, तब, संसद् विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् उसका विस्तार किसी भी दशा में छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ।

84. संसद् की सदस्यता के लिए अर्हता---कोई व्यक्ति संसद् के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब--

[5][(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है ;]

(ख) वह राज्य सभा में स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का और लोक सभा में स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का है ; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि[6] द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं ।

[7][**85. संसद् के सत्र, सत्रावसान और विघटन**--- (1) राष्ट्रपति समय-समय पर, संसद् के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा ।

(2) राष्ट्रपति, समय-समय पर---

(क) सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा ;

(ख) लोक सभा का विघटन कर सकेगा ।]

*   *   *   *   *

[1] संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 4 द्वारा "2000" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 4 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 द्वारा "1991" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 13 द्वारा (20-6-1979 से) "छह वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 3 द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएं 3 और 4 आगे भाग 2 में देखिए ।
[7] संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 द्वारा अनुच्छेद 85 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

धारा 6(3)
लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय
4 बी, सुभाष रोड़, देहरादून
उत्तराखण्ड शासन।
दूरभाष– 0135–2712100/2712200

पत्र संख्याः 155/155–मु.स./सू.अ./2018 दिनांकः 08 मार्च, 2018

लोक सूचना अधिकारी,
निर्वाचन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

आवेदक का दिनांक **03.03.2018** का संलग्न सूचना का अनुरोध पत्र, जो लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, सचिवालय, देहरादून में दिनांक **05.03.2018** को प्राप्त हुआ है, आपको मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि इसमें मांगी गयी सूचना कदाचित आपके विभाग से संबंधित है। कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।
संलग्नः यथोक्त।

(पी0सी0 उपाध्याय)
लोक सूचना अधिकारी

पृष्ठांकनः /नि.स.–मु.स./सू.अ./2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–श्री विष्णु प्रसाद रतूड़ी, नियर ओ0बी0सी0 बैंक के पास, रायपुर, देहरादून–248008 को सूचनार्थ। आप द्वारा मांगी गई सूचना इस कार्यालय में धारित न होने तथा सूचना कदाचित निर्वाचन विभाग से संबंधित होने के कारण आपका आवेदन पत्र संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जा रहा है। **यदि निर्वाचन विभाग से सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा उनके द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट न हों, तो कृपया निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रेषित करने का कष्ट करें।**
2. मुख्य लेखाधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संलग्न पोस्टल आर्डर सं0 43एफ 735453 (रू0 10/–) को राजकोष में जमा कराने का कष्ट करें।

(पी0सी0उपाध्याय)
लोक सूचना अधिकारी/प्रमुख निजी सचिव,
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

निर्वाचन
3/3/2018

सेवा में

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी
मुख्य सचिव कार्यालय
उत्तराखण्ड सरकार

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) में सूचना के सम्बन्ध में

महोदय

निम्नलिखित सूचनाऐं उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

(1) उत्तराखण्ड शासन/सरकार के उस आदेश की प्रति जिसमें तीन बच्चों वाले/ग्राम प्रधान/पार्षद के चुनाव नही लड़ने सकते की सत्यापित प्रति

(2) 2002-2003 के बाद की तीसरी संतान होने की स्थिति में चुनाव न लड़ने वाले आदेश की सत्यापित प्रति

(3) 2002-2003 में परिवार नियोजन के अन्तर्गत शासनादेश/जिसमें उल्लेख किया गया है। कि तीन सन्तान होने पर चुनाव नही लड़ा जा सकता उस आदेश/निर्देश की सत्यापित प्रति।

(4) विधायक, सांसदों, पंचायतों, नगर निगमों में क्या शर्तें है। उनके आदेश की ~~[illegible]~~ सत्यापित प्रतिलिपि/चुनाव लड़ने की।

प्रार्थी
विष्णु प्रसाद रतूड़ी
रायपुर नियर
O.B.C बैंक के पास
रायपुर
उत्तराखण्ड
देहरादून

দহ টকা দশ টাকা દસ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ பத்து ரூபா दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା ਦਸ ਰੁਪਏ दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO लोक सूचना अधिकारी मुख्य सचिव कार्यालय U.K को

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

विष्णु प्रसाद रतूड़ी
रायपुर OBC बैंक
रायपुर

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

43F 735453

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

सख्याः 384 /XXV–12/2015 देहरादूनः दिनाक 08 मार्च, 2018.

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
देहरादून,हरिद्वार,पिथौरागढ,उधमसिंह नगर,
पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा एवं टिहरी गढ़वाल।

विषयः– **<u>सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।</u>**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुसचिव/लोक सूचना अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के साथ श्री भुवन सिंह बिष्ट, एल0आई0जी0 183/40, निकट शिव मन्दिर, आवास विकास, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 27–02–2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय के संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोपरि।</u>

भवदीय,

B. S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

<u>पृ0संख्या 384 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि श्री भुवन सिंह बिष्ट, एल0आई0जी0 183/40, निकट शिव मन्दिर, आवास विकास, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर को सूचनार्थ प्रेषित।

B. S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–2
आर0टी0आई0सं0 / 80 /XXXV-2/लो0सू0अ0/2018
देहरादून : दिनांक 06 मार्च, 2018

1. लोक सूचना अधिकारी,
गोपन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

2. लोक सूचना अधिकारी,
निर्वाचन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री भुवन सिंह बिष्ट, एल0आई0जी0 183/40, निकट शिव शक्ति मन्दिर, आवास विकास, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 27.02.2018 एवं संलग्न पोस्टल ऑर्डर संख्या–43 एफ 707146 रू 10/–अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 05.03.2018 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति आपको सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) की व्यवस्थानुसार इस आशय से हस्तांतरित की जा रही है कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचनाएं गोपन विभाग एवं निर्वाचन विभाग दोनों से संबंधित हैं। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचनाएं अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

(सुधीर कुमार चौधरी)
अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी।

सं0/ /XXXV-2/लो0सू0अ0/2018 तद्दिनांक

पंजीकृत डाकः–

प्रतिलिपिः–1– श्री भुवन सिंह बिष्ट, एल0आई0जी0 183/40, निकट शिव शक्ति मन्दिर, आवास विकास, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 27.02.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचनाएं इस लोक प्राधिकारी कार्यालय की अभिरक्षा/नियंत्रण में धारित नहीं है। वांछित सूचनाएं गोपन विभाग एवं निर्वाचन विभाग दोनों से सम्बन्धित हैं। तद्नुसार अनुरोध पत्र दिनांक 27.02.2018 लोक सूचना अधिकारी, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अन्तरित कर दिया गया है।

यदि उक्तानुसार की गई कार्यवाही से आप संतुष्ट नहीं हों तो आप मुख्यमंत्री कार्यालय के विभागीय अपीलीय अधिकारी को निम्नानुसार उल्लिखित पते पर प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री कृष्ण सिंह, संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, कमरा नं0–213, द्वितीय तल, अब्दुल कलाम भवन, सचिवालय, देहरादून–248001।

2– केन्द्रीकृत सहायक लोक सूचना अधिकारी, सचिवालय प्रशासन को रू 10/– के पोस्टल आर्डर संख्या–43 एफ 707146 मूलरूप में संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की कृपया उक्त धनराशि राजकीय कोष में जमा कर प्राप्ति रसीद पत्रवाहक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुधीर कुमार चौधरी)
अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी।

RTI-FN 80/2018 दिनांक :- 27/2/2018

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी
मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय
उत्तराखण्ड सरकार

विषय :- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 धारा 7/9 के अंतर्गत निम्न बिन्दुओ पर सूचना उपलब्ध कराए।

बिन्दु संख्या 1 :- उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री/एवं सभी मंत्री की सम्पत्ती का ब्योरा सूचना द्वारा उपलब्ध कराए।

बिन्दु संख्या 2 :- मुख्यमंत्री व सभी मन्त्रियो ने चुनाव लड़ते वक्त अपनी सम्पत्ती का क्या ब्योरा भरा था। सूचना उपलब्ध कराए।

पोस्टल आर्डर संख्या
43F 707146

कार्य प्राप्त
5/03/18
80-2
05/03/18

प्रार्थी
भुवन सिंह बिष्ट
एल० आइ० जी 183/40
निकट शिवशक्ति मन्दिर
आवास विकास, रूद्रपुर
(उधमसिंह नगर) उत्तराखण्ड
Mob no :- 8191860000
(R.T.I Activist)

दश टाका [illegible] दहा रुपये [illegible] दश रुपयकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

जारी करने वाले डाकघर की मुहर ISSUING OFFICE STAMP

भुगतान करने वाले डाकघर की तारीख सहित मुहर PAYING OFFICE STAMP WITH DATE

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO लोक सूचना अधिकारी
मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड को

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY .

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

भुवन [illegible]
निकट शिव [illegible]
आवास विकास [illegible]
उधमसिंहनगर

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

सत्यमेव जयते

43F 707146

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 383 /XXV–12(1–5)/2008 देहरादूनः दिनांक 08 मार्च, 2018.

सेवा में,

श्री एस0एल0व्यास,
राष्ट्रीय महासचिव,
ऑल इण्डिया वोटर्स राइट्स एण्ड वेलफेयर एसोसियेशन
आई मॉ भवन, पो0बॉ0 नं0–11,
फलोदी–342301, जोधपुर
राजस्थान।

विषयः– <u>**सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**</u>

महोदय,

उपरोक्त अनुसचिव/ लोक सूचना अधिकारी कार्यालय, श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–4373(1)R-1(6)(R.T.I)/जी0एस0(विविध) दिनांक 28 फरवरी, 2018 जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना [redacted] प्रेषित की जा रही हैः–

बिन्दु संख्या– 01 एवं 06 में चाही गयी वांछित सूचना इस कार्यालय में धारित नही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।
कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

B.S. Rawat

(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2017

अनुभाग अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी

महोदय,

कृपया माननीय श्री राज्यपाल सचिवालय, दे०रा० के पृ. पत्र संख्या 4373 दिनांक 28 फरवरी 2018 के साथ संलग्न सूचना के अधिकार के तहत आल इंडिया वोटर्स राइटर्स एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन, फलोदी, जिला जोधपुर के आवेदन एवं राज्य निर्वाचन आयोग को सम्बोधित पत्र दिनांक 25-1-2016 के उल्लिखित बिन्दु सं० 1 से 6 तक की सूचनाएँ इस कार्यालय से धारित नहीं हैं।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

भवदीय

[illegible]

([illegible] गौड़ अधिकारी [illegible])
लोक सूचना अधिकारी [illegible]

प्राप्त
5/3/18

सूचना का
अधिकार

श्री राज्यपाल सचिवालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्याः– / R-1(2)(R.T.I.)/जी0एस0(विविध)/2011 दिनांक 28 फरवरी, 2018

श्री एस0एल0 व्यास,
राष्ट्रीय महासचिव,
ऑल इण्डिया वोटर्स राइट्स एण्ड वेलफेयर एसोसियेशन,
आई मॉ भवन, पो0बॉ0नं0–11,
फलोदी–342301, जोधपुर।
राजस्थान।

विषय :– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने सूचना अनुरोध पत्र दिनांक 20–02–2018, जो इस सचिवालय में दिनांक 26–02–2018 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत **जो सूचना लोक प्राधिकारी के पास धारित है अथवा उसके नियंत्रण में है, वही सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी जाती है।**

अतएव आपके द्वारा वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत हैः–

बिन्दु सं0–1 आपके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत सरकार, नई दिल्ली को सम्बोधित एवं अन्यों को पृष्ठांकित प्रार्थना पत्र दिनांक 25–01–2018 (आठवां अन्तर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तीन दिवसीय बैठक आयोजित) इस सचिवालय में आतिथि तक अप्राप्त है। तद्क्रम में इस बिन्दु में अपेक्षित सूचना हेतु अनुरोध पत्र की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को अन्तरित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0–2 इस बिन्दु में वर्णित इस सचिवालय के पत्र संख्याः 311/आर–1(2)/2011 दिनांक 28–04–2017 द्वारा आपको पूर्व में सूचना प्रेषित की गई है। अतः यह सूचना प्रेषित किये जाने सम्बन्धी पत्र होने के दृष्टिगत कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बिन्दु सं0 3 इस बिन्दु में वर्णित सूचना के क्रम में अनुरोध पत्र की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को अन्तरित किया जा रहा है।

अपीलीय अधिकारी का नाम व पता

विभागीय अपीलीय अधिकारी/उपसचिव,
राज्यपाल सचिवालय, कैन्ट रोड़, देहरादून।

भवदीय,

(जी0डी0 नौटियाल)
अनुसचिव/लोक सूचना अधिकारी।

संख्या–4373(1)/R-1(6)(R.T.I.)/जी0एस0(विविध)/2016, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अनुभाग अधिकारी, अधिष्ठान अनुभाग, राज्यपाल सचिवालय को उपरोक्त सूचना मासिक विवरण में सम्मिलित करने हेतु।
2. लेखा प्रकोष्ठ, राज्यपाल सचिवालय को सूचना शुल्क रू0 10.00 का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्याः 40एफ–968789 राजकोष में जमा करने हेतु।
3. लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड–देहरादून को सूचना अनुरोध पत्र की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत इस आशय से प्रेषित कि कृपया बिन्दु सं0 1 के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को सूचना प्रेषित करते हुये बिन्दु सं0 3 के सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र संख्याः 311/आर–1(2)/2011 दिनां 18–04–2017 के क्रम में अनुरोधकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ARO I(K)
कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित आदेश को उपलब्ध करायें,
5-3-18
S.O./P.I.O

28.2.18

(जी0डी0 नौटियाल)
अनुसचिव/लोक सूचना अधिकारी,

PM Regd 5/Dt. 20-2-2014 वोटर्स एसोसिएशन के रेकार्ड
ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन
कार्यालय : राष्ट्रीय महासचिव, आई माँ भवन, मालीवाड़ा की ढाल, पो. बॉक्स नं. 11, फलौदी जिला जोधपुर
(भारत) 342301 मो. 8239067024 फैक्स 02925-223010 Email: slvyas2013@gmail.com

क्रमांक : AIVRWA/RMS/PLD/मु.निर्वा.आयोग नई दिल्ली/ALLINDIA/प्रेस नोट/180068-190080 दिनांक :
25-1-2018

अति आवश्यक रजिस्टर्ड पत्र

To,
श्रीमान मुख्य चुनाव आयुक्त
भारत चुनाव आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़ नई दिल्ली-110001

मार्फत :- एस.डी.एम. फलोदी-12.

विषय :- आठवां अन्तर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर तीन दिवसीय बैठक आयोजित।

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव एस.एल. व्यास की अध्यक्षता में आज आठवां अन्तर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय बैठक प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई। इस अवसर पर चिमनसिंह रावत, मो. शफी, आचार्य पुरुषोत्तम चन्दनानी, बाबूलाल सियाग, डी.आर. चौधरी, भगवानदास सैन, हरिगोपाल कल्ला संभाग प्रभारी, लक्ष्मण वैष्णव वकील, एम.एन. मोदी, हीरालाल शर्मा, मुकेश वैष्णव, संजय पंवार, कमल किशोर रामावत, कविता शर्मा, लक्ष्मी मोदी, मधुबाला अरोड़ा, भगवती, बृजमोहन माली, नकुल-प्रिंस पुरोहित, डी.के. पुरोहित, पी.एन. व्यास, केसरसिंह, हरी व्यास एवं सवाईसिंह, पन्नेसिंह राजपुरोहित के साथ राज्य भर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मतदाता पेंशन मासिक एवं अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

(1) वोटर्स पेंशन मासिक 3000/- रूपये शुरू करवाने की कार्यवाही से भारत देश के करोड़ों मतदाताओं को परिलाभ दिलाना आयकर की श्रेणी में नहीं आते उन्हें इसका परिलाभ मिलने से चुनावों में निष्पक्ष निडर होकर मतदान करेंगे। भ्रष्टाचारी पर भी अंकुश लगेगा। लोक सभा सचिवालय नई दिल्ली ने भारत सरकार वित मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग को अग्रेषित कार्यवाही हेतु 2017 में प्रेषित की। आम मतदाताओं ने एवं विभिन्न राजनैतिक संगठनों ने भी इस मांग को जायज मानी जल्द ही वोटर्स पेंशन लागू करने पर जोर दिया देश के हर राज्यों से भी मांग तेज हुई जनहित में। मतदाता मासिक पेंशन 3000/- शीघ्र सुलभ कराने हेतु आठवां अन्तर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर तीन दिवसीय बैठक आयोजित की गई 50 वोटर्स पेंशन मांग पत्र भी प्राप्त हुए जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयोग नई दिल्ली, मुख्यमंत्रीयों को प्रेषित किये गये। व्यास ने इस क्रम में 1900000 पत्र प्रेषित किये सरकारों को।

(2) 12/- रूपये में दो लाख रुपये का बीमा मृत्यु होने पर व अन्य आयु वालों का भारत सरकार ने योजना के तहत बीमे किये उसका भुगतान मृत्यु के बाद किन-किन दस्तावेजों व किसे देने का प्रार्थी या परिवार को मिलेगा उसका खुलासा प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्रीजी करावें एवं बी.पी.एल. परिवार के मुखियाओं का पूर्व में दो लाख रूपये का बीमा किया, कितने लोगों को उक्त राशि भुगतान की गई और किस प्रकार से दी या नहीं विधिक कारण बतायें। सूचना का अधिकार 2005-2007 व काम की गारन्टी 2012 के तहत तीव्रता के साथ स्थानीय निकाय विभागों को समयावधि पर चाही गई सूचना दिलाने हेतु पाबंद करना एवं सभी कर्मियों को वर्दी में रहने के लिए कठोर कार्यवाही अमल में लेने के लिए मुख्यमंत्री सहयोग करावें। विधिक न्याय सहित जवाब देवें।

एस.एल. व्यास (राष्ट्रीय महासचिव)

25 JAN 17

Faladi

PM Regd 5/Dt. 20-2-2014
ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन
कार्यालय : राष्ट्रीय महासचिव, आई माँ भवन, मालीवाड़ा की ढाल, पो. बॉक्स नं. 11, फलौदी जिला जोधपुर
(भारत) 342301 मो. 8239067024 फैक्स 02925-223010 Email: slvyas2013@gmail.com

क्रमांक : AIVRWA/RMS/PLD/मु.निर्वा.आयोग नई दिल्ली/ALLINDIA/प्रेस नोट/180068-190080 दिनांक :
25-1-2018

अति आवश्यक रजिस्टर्ड पत्र

(2)

(3) सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करवाना, और उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करें। जिसके पास सड़क सीमा से दूर जितनी परिधि है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निकाय विभाग व अन्य सभी विभाग निःशुल्क पट्टे व जमीन धार्मिक सभी स्थानों जो जहां है उसे परेशान, तंग नहीं करें विधिक न्याय करके एवं धार्मिक स्थानों के संचालकों को सरकार 6 लाख रूपये दिलाना जिससे वो अपना गुजारा कर सके। आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। नदी, तालाब, नाडी, बन्धे के आसपास की सुरक्षा करना। इन क्षेत्रों में किसी प्रकार की आवासीय कॉलोनी काटने पर रोक लगाना क्योंकि इस क्षेत्र की जमीन हर वर्ष पानी के कारण भरी चली जाती है। इसके कारण जनता को खतरा रहता है। यहां पर धार्मिक स्थानों का जगह सुरक्षित रखी जाय व अन्य प्रयोजन में नहीं।

(4) वोटर्स एसोसिएशन के कार्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन के साथ अनुदान राशि सरकार से दिलाना जो 2017 से वांछित है। गत दस वर्षों से निस्वार्थ भाव से आर्थिक तंगी के बाद भी हर राज्य के मतदाताओ की जन समस्या को सदन तक पहुंचाना और सहयोग व विधिक न्याय के साथ निस्तारण कराना महिला/पुरुष/दलित परिवारों को भी न्याय दिलाना इत्यादि पंचायत से लेकर संसद तक।

(5) लम्बे समय से स्थानीय सभी कर्मियों का स्थान परिवर्तन करना विधिक न्यायसंगत है 15-20 से एक ही स्थान पर है तुरन्त अन्य शहरों में लगावें सरकार। निकाय विभाग के कर्मियों को अपने गणवेश में रहने के लिए पाबंद किया जाय सफाई विभाग व अग्नि शमन तथा सभी विभागों के कर्मियों को नेम प्लेट सहित ड्यूटी करने के लिए पाबंद किया जाय जिससे किसी भी प्रकार का हादसा होने पर इनकी सुरक्षा हो सके।

(6) 2010 से 2017 दिसम्बर तक के दिये भवन स्टेट पट्टा व अन्य प्रकार के पट्टों की जांच कराना एवं रद्द करने व अतिक्रमण हटाने में भाई-भतीजावाद रोकने की मांग भी सरकार से की। हो रही कार्यवाही से सात दिनों के भीतर अवगत करावें। कमल किशोर रामावत ने आभार व्यक्त किया।

सादर,

पत्र नं. 180068-190080 दिनांक 25-1-2018
आवश्यक अग्रिम विशेष विधिक कार्यवाही हेतु विशेष पत्र जारी-

1. राष्ट्रपति, भारत सरकार, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली
4. निदेशक/सैक्शन ऑफिसर D.A.R.P.G. भारत सरकार, 5वां माला, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली, आवश्यक कार्यवाही व न्याय बावत।
5. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, समस्त राज्य राज्य निर्वाचन आयोग, समस्त सांसद विधायक, समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त सहायक निर्वाचन अधिकारी, एस.डी.एम. फलोदी, ई.ओ. नगरपालिका फलोदी, सी.आई.डी. फलोदी।
14. प्रेस नोट जारी जनहित में बी.बी.सी. लन्दन, पी.आई.बी. जयपुर/जोधपुर/नई दिल्ली, जिला सूचना अधिकारी सभी जिला हम है आजाद व हिमालय और हिन्दुस्तान, ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) मीडिया
15. न्यूज चैनल, ई.टीवी., राजस्थान टॉप वन व सभी दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक समाचार पत्रों में प्रकाशित।
16. रक्षित पत्रावली।

नोट :- 25 जनवरी 2018 को प्रकाशित करें राष्ट्र हित में।

भवदीय

फलोदी 25-1-2018

एस.एल. व्यास
राष्ट्रीय महासचिव
ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन
फलोदी पो. बॉक्स नं. 11 मो. 8239067024

25 JAN 18

Faladi

दस टका दश टाका ৰাশি टका दस रुपिया ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ പത്തു രൂപ दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା दस रुपए दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO राज्य लोकसूचना अधिकारी/राज्यपाल उत्तराखण्ड राजभवन सचिवालय देहरादून 248001 (उत्तराखण्ड) को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

S L VYAS, C/o Grenral Secetry All India Voters-Right Welfare Association, AAE MAA Bhawan Madhosar Ki Dhal P.B. No. 11 FALODI 342301 (JODHPUR)

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT GPO-Utarakhand देहरादून उत्तराखण्ड के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

12/02/18.

40F 968789

দহ টকা দশ টাকা દસ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ [illegible] പത്തു രൂപ दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା ਦਸ ਰੁਪਏ दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

जारी करने वाले डाकघर की तारीख सहित मुहर
ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

तारीख सहित भुगतान करने वाले डाकघर की मुहर
PAYING OFFICE STAMP WITH DATE CANCELLING THIS ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO राज्य लोकसूचना अधिकारी/ राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्यपाल सचिवालय देहरादून 248001 (उत्तराखण्ड) को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

सत्यमेव जयते

కమీషన్ COMMISSION रुपया 1 RUPEE

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT GPO- Utrakhond Dehradun

उत्तराखण्ड देहरादून के डाकघर में अदा करें ।

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे ।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

S L VYAS S/o General Secetary India Voters-Right Welfare Association, AAE MAA Bhawan Madhoray Ki Dhal P.B. No. -11 FALODI 342301 (JODHPUR)

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए. DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

12/02/18.

40F 968789

పది రూపాయలు

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 382 /XXV–12(1–5)/2008 देहरादूनः दिनांक 08 मार्च, 2018.

सेवा में,

श्री प्रकाश राम टम्टा,
ग्राम–खर्ककार्की
पो0 जनपद–चम्पावत
262523.

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त सहायक आयुक्त/ लोक सूचना अधिकारी कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1096/रा0नि0आ0–1/2290/2018 दिनांक 07–03–2018 जो आपको पृष्ठांकित है, का का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना [illegible] प्रेषित की जा रही हैः–

बिन्दु संख्या– 02 एवं 03 के संबंध में अवगत कराना है कि लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचनों में कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश दिये जाने का कोई प्राविधान नही है। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष बी0एल0ओ0 को मानदेय दिया जाता है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

B.S. Rawat

(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2017

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 1096 / रा.नि.आ.-1/2290/2018

दिनांक 07/3/2018

सूचना का अधिकार

राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

श्री प्रकाश राम टम्टा, ग्राम–खर्ककार्की, पो0 जनपद–चम्पावत–262523 का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 28.02.2018 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 06.03.2018 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध–पत्र के **बिन्दु संख्या–02 व 03** में मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया वांछित सूचना अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
07.3.18
(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820739

संख्या– /रा0नि0आ0–1/2290/2018 तद्दिनांक।(पंजीकृत)
प्रतिलिपिः– श्री प्रकाश राम टम्टा, ग्राम–खर्ककार्की, पो0 जनपद–चम्पावत–262523 को सूचनार्थ।

(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास ,रिंग रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष : 0135 - 2670457 , 2670998
टैलीफैक्स : 0135 - 2670920 , 2678945
ई - मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

424
6/3/18

(2290)

RTI
श्री नयाल (S/I)
06.3.18
P.I.D

(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

प्रकाश राम टम्टा
ग्राम खर्ककार्की
पो0 जनपद चम्पावत - 262523
दिनांक– 28.02.2018

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

विषय– अध्यापकों को दीर्घकालीन अवकाश में निर्वाचन कार्य करने के बदले प्रदत्त उपार्जित अवकाश के संम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि आपके संलग्न पत्रांक संख्या 751/रा0नि0आ0–2/48–2001 दिनांक 3/6/2011 के आदेशानुसार ग्रीष्मकालीन दीर्घावकाश में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्य करने के बदले अध्यापकों को उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने के दिशा निर्देश दिये गये है।

अतः महोदय मैं सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर आपसे सूचना चाहने हेतु प्रार्थना करता हूँ–

1 उत्तराखण्डराज्य की भौगौलिक विषमताओं को देखते हुए शासन ने उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा में दो प्रकार के दीर्घकालीन अवकाश ग्रीष्मकालीन(मैदानी एवं घाटी के क्षेत्रों में) शीतकालीन (पहाड़ी क्षेत्रों मे) प्रदान किये है। निर्वाचन कार्य के बदले उपार्जित अवकाश केवल ग्रीष्मकालीन अवकाश में कार्य करने वाले अध्यापकों को ही प्रदान किये जायेंगे कि शीत कालीन अवकाश में कार्य करने वाले अध्यापकों को भी , स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें।

2, महोदय आपके ही दिशा निर्देश में दीर्घकालीन (शीत/ग्रीष्म) अवकाशों में अध्यापक पंचायत चुनाव के अतिरिक्त बीएलओ/विधानसभा/लोकसभा/सामान्य निर्वाचन में भी अपनी कर्त्तब्य निष्ठा एवं पूर्ण लगन से कार्य करते है। उनके लिए उपार्जित अवकाश हेतु राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश दिये है कि नहीं। अगर दिये है तो दिशा निर्देश की प्रति प्रार्थी को सूचना हेतु प्रेषित करने की कृपा करें।

3/ अगर केवल ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु अध्यापकों को पंचायत चुनाव के बदले ही उपार्जित अवकाश की व्यवस्था है तो उन अध्यापकों के साथ जो आपके ही निर्देशन में बीएलओ/लोकसभा व विधानसभा में निर्वाचन कार्य करते है उनके साथ प्राकृतिक अन्याय होगा। जैसा कि शिक्षा विभाग द्वारा विगत लोक सभा निर्वाचन वर्ष 2014 व विधानसभा चुनाव 2016–17 निर्वाचन में कार्य करने वाले अध्यापकों के साथ किया जारहा है

अतः महोदय से निवेदन है कि उत्तराखण्ड राज्य में दीर्घ कालीन अवकाश में सम्पन्न होने वाले निर्वाचन कार्य के बदले उपार्जित अवकाश की सूचना से शिक्षा विभाग एवं प्रार्थी को यथा समय, यथा शीघ्र अवगत कराने की महती कृपा करेंगे।

दिनांक– 28/02/2018

प्रार्थी
[signature] 28/02/2018
प्रकाश राम टम्टा

स्थान– चम्पावत

संलग्नक– (1) रा0 नि0आ0 के आदेश की छायाप्रति
(2) रू0 10/- का शुल्क (स्टाम्पपेपर)

निर्वाचन आवश्यक / फैक्स / ई0मेल

पत्रांक :- 751 / रा.नि.आ.-2/48 /2001

दिनांक 03/06/2011

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

seen
20/6/14
प्रधानाचार्य
राजकीय इण्टर कालेज
लोहाघाट (चम्पावत)

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

अनुभाग:- 2

राज्य निर्वाचन आयोग। देहरादून।

विषय:- माह जून में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2014 में अध्यापकों को निर्वाचन ड्यूटी के स्थान पर उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2014 माह जून 2014 में सम्पादित कराये जा रहे है। इन निर्वाचनों को सम्पन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतदान दल के सदस्यों व मतगणना जैसे कार्यों में व्यापक स्तर पर शिक्षा विभाग के अध्यापकों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगाई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि माह जून में शिक्षा विभाग के अध्यापको को ग्रीष्मकालीन अवकाश की सुविधा होती है जिसके फलस्वरूप उन्हे उपार्जित अवकाश नही दिया जाता है।

आसन्न त्रिस्तरीय पंचायतो के सामान्य निर्वाचन–2014 में क्योंकि अध्यापकों से ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान निर्वाचन कार्य करवाया जा रहा है, अतएव निर्वाचन कार्य में अध्यापकों को निर्वाचन में कार्य करने वाले दिनों के बराबर उपार्जित अवकाश दिया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि शिक्षा विभाग के उन अध्यापकों को जिनकी ड्यूटी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2014 में लगायी जा रही है, को ड्यूटी के दिनों की संख्या के बराबर जिसमें प्रशिक्षण एवं यात्रा के दिन भी सम्मिलित हों, उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
03/6/14

(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या–751 /रा0नि0आ0–2/48/2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

03/6/14

(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर

दूरभाष

DIKAR SINGH
STAMP VENDER
CHAMPAWAT
L.N.-35/1997

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK55466206836415Q
Certificate Issued Date	:	28-Feb-2018 10:47 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1225404/ CHAMPAWAT/ UK-CP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK122540411822349544844Q
Purchased by	:	Prakash Ram Tamta
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	Khrakkarki Champawat
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	Prakash Ram Tamta
Second Party	:	Election Commission Uttarakhand
Stamp Duty Paid By	:	Prakash Ram Tamta
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

सेवा में,

-----Please write or type below this line-----

लोक सूचना अधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

विषय– अध्यापकों को दीर्घकालीन अवकाश में निर्वाचन कार्य करने के बदले प्रदत्त उपार्जित अवकाश के संबंध मे।

28/02/2018

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 381 /XXV–12(1–5)/2008 देहरादूनः दिनांक 08 मार्च, 2018.

सेवा में,

श्री शीशपाल सिंह
268/618 (II), राजपुर रोड़,
निकट केनरा बैंक, राजपुर रोड़
देहरादून, उत्तराखण्ड– 248001

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 07.03.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना [redacted] प्रेषित की जा रही हैः–

बिन्दु संख्या–01, 02 के संबंध में अवगत कराना है कि आप द्वारा मतदाता पहचान पत्र प्राप्त किये जाने हेतु आनलाईन आवेदन किया गया है। आपके उक्त आवेदन के संबंध में संबंधित मतदेय स्थल के बी0एल0ओ0 द्वारा आवेदन पत्र की जॉच की जायेगी जॉचोपरान्त अपनी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगी तत्पश्चात मतदाता पहचान पत्र बनाये जाने की कार्यवाही की जायेगी। मतदाता पहचान पत्र बी0एल0ओ0 द्वारा आपको हस्तगत कराया जायेगा। उक्त संबंध में आप अपने बी0एल0ओ0 तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

B. S. Rawat

(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2017

दिनांक–07/03/2018

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय,
04, सुभाष मार्ग, देहरादून।

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया संलग्न आवेदन पत्र संख्या OAY111504381 Dated 09/01/2018 एवं Election Commission India की ओर से प्राप्त सन्देशों के क्रम में प्रार्थी निम्न सूचना चाहता है:–

1. दिनांक 09/01/2018 को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (www.nvps.in) में किये गये आवेदन पर कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद मतदाता पहचान पत्र कहां और कैसे प्राप्त किया जाता है/ मतदाता पहचान पत्र को प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. उपर्युक्त आवेदन में अभी किसी प्रकार की प्रक्रिया पूर्ण होना बाकी है या सभी प्रक्रियायें सम्पन्न हो चुकी है।

उपरोक्त वांछित सूचना हेतु रू 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 39F 345874 मूलरूप से संलग्न है। कृपया उपरोक्त सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

शीशपाल सिंह
268/618 (I I), राजपुर रोड,
निकट केनरा बैंक, राजपुर रोड, देहरादून
उत्तराखण्ड– 248001

संलग्नकः–

1. पोस्टल ऑर्डर की मूलप्रति।
2. प्राप्त एस0एम0एस0 एवं राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर किये गये आवेदन की छायाप्रति।

Not secure | www.nvsp.in/Forms/Forms/trackstatus

राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल

NATIONAL VOTERS' SERVICES PORTAL

Home | About Us | Contact Us

Online Application Status

Enter reference id: OAY111504381 [Track Status]

Submitted	BLO Appointed	Field Verified	Accepted
09-01-2018	07-03-2018	07-03-2018	07-03-2018

First Name: SHEESHPAL SINGH

Last Name:

State: Uttarakhand

AC: Dhanolti

Form Type: form6

IMG-20180307-W....jpg

Show all

4:03 PM
07-Mar-18

4G Gill 16:01 75%

MD-ECISMS

Edit

Jan 9

Your Application has been received for inclusion of name in electoral roll for first time voter. Use OAY111504381 for future reference

10:39

Mar 7

Your application OAY111504381 has been accepted by ERO

14:46

Cannot send message to special number

Jio

Voda